अधिसूचना संख्या 38/2014 [एफ. संख्या 203/23/2014/आईटीए.II], दिनांक 27-8-2014

प्रपत्र सं. 3गत

1.	आवेदक का नाम, पता और पैन	रैलिस इंडिया लिमिटेड, 156/157, 15वीं मंजिल, नरीमन भवन, 227, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 (AABCR2657N)
2.	कृषि विस्तार परियोजना का शीर्षक	रैलिस किसान कुटुंब-रैलिस फसल सलाहकार केंद्र ('आरकेके-आरसीएसी')
3.	कृषि विस्तार परियोजना का उद्देश्य	किसानों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण सलाह प्रदान करना और कृषक समुदाय की सेवा में विशिष्टता लाना। वे किसानों को फसल पद्धतियों, कीट प्रकोप, नियंत्रण उपायों और उत्पाद उपयोगों पर सलाह देते हैं।
4.	आवेदन की संदर्भ संख्या और तिथि	एफ.सं. 203/23/2014-आईटीए.II दिनांक 24,07,2014 को प्राप्त हुआ
5.	कृषि विस्तार परियोजना के प्रारंभ की तिथि	पहले ही शुरू हो चुका है। हालाँकि, अनुमोदन आयकर अधिनियम की धारा 35CCC के तहत इस औपचारिक अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।
6.	कृषि विस्तार परियोजना की अवधि महीनों में	चल रही परियोजना.
7.	वह निर्धारण वर्ष जिसके लिए कृषि विस्तार परियोजना अधिसूचित की जा रही है (तीन वर्ष से अधिक नहीं)	अधिसूचना के औपचारिक जारी होने की तिथि से लेकर वित्तीय वर्ष 2016-17 तक।
8.	कृषि विस्तार परियोजना के लिए संभावित कुल व्यय (भूमि या भवन की लागत के अलावा)	कर निर्धारण वर्ष 2015-16 (आवेदक ने 43,39,600/- रुपए के व्यय का दावा किया है। हालांकि, चूंकि परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-2015 में बाद की तारीख से मंजूरी दी जा रही है, इसलिए संबंधित अवधि के लिए अपेक्षित व्यय बहुत कम होगा) जबकि कर

		निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए संभावित व्यय 47,03,410/- रुपए है।
9.	कृषि विस्तार परियोजना के प्रत्येक लाभार्थी से ली जाने वाली राशि, यदि कोई हो,	शून्य
10.	जिन शर्तों के अधीन सीआरकेके-आरसीएसी नामक कृषि विस्तार परियोजना को अधिसूचित किया जा रहा है, वे निम्नानुसार हैं;	

(i) कृषि विस्तार परियोजना शुरू करने वाली अनुमोदित इकाई धारा 35सीसीसी की उपधारा (1) के तहत अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना की अलग-अलग खाता बही बनाए रखेगी और धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखाकार द्वारा ऐसी खाता बही की लेखा परीक्षा कराएगी।

(ii) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कृषि विस्तार परियोजना के लिए रखी गई खाता पुस्तकों की सही और निष्पक्ष स्थिति, कृषि विस्तार परियोजना की गतिविधियों की वास्तविकता और अधिनियम या नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति या नियम 6एएडी के उप-नियम (6) या उप-नियम (9) के तहत जारी अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियां शामिल होंगी।

(iii) अनुमोदित इकाई पात्र कृषि विस्तार परियोजना के अंतर्गत लाभार्थी से प्रशिक्षण, शिक्षा, मार्गदर्शन या ऐसे प्रशिक्षण, शिक्षा या मार्गदर्शन के प्रयोजनों के लिए वितरित किसी सामग्री के लिए कोई राशि स्वीकार नहीं करेगी।

(iv) अनुमोदित इकाई को अधिनियम की धारा 35सीसीसी, नियम 6एएडी और इस नियम के प्रावधानों के अनुसार पात्र व्यय की कटौती के अलावा अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलेगा।

(v) परियोजना के अंतर्गत कंपनी के प्रोफाइल और उत्पादों पर एक लघु सत्र को छोड़कर केवल उत्पाद-तटस्थ प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(vi) सभी व्यय (किसी भूमि या भवन की लागत के स्वरूप में व्यय नहीं), लाभार्थी से प्राप्त राशि, यदि कोई हो, को घटाकर, पूरी तरह से और विशेष रूप से एक पात्र कृषि विस्तार परियोजना शुरू करने के लिए किए गए व्यय धारा 35सीसीसी के तहत कटौती के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि कृषि विस्तार परियोजना पर किया गया कोई भी व्यय, जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करदाता को प्रतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति योग्य है, धारा 35सीसीसी के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होगा।

(vii) जहाँ अधिनियम की धारा 35सीसी के अंतर्गत किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कटौती का दावा किया जाता है और उसे अनुमति दी जाती है, वहाँ उसी या किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिए अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत ऐसे व्यय के संबंध में कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(viii) इस परियोजना के अंतर्गत विस्तार कार्यकर्ताओं का डेटाबेस संबंधित राज्यों में संबंधित जिला कृषि समिति (डीएसी) को दिया जाएगा।

(ix) अनुमोदित संस्था, धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को या उससे पूर्व, आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक, जैसा भी मामला हो, को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगी, अर्थात्:

क. पिछले वर्ष के लिए कृषि विस्तार परियोजनाओं के लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और धारा 35सीसीसी की उप-धारा (1) के अंतर्गत दावा की गई कटौती की राशि सहित;

ख. पिछले वर्ष के दौरान उसके द्वारा की गई कृषि विस्तार परियोजना और चालू वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली कृषि विस्तार परियोजना के कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम के लिए वित्तीय आवंटन पर एक नोट; और

ग. पिछले वर्ष के दौरान करदाता द्वारा शुरू की गई कृषि विस्तार परियोजना की वास्तविकता के संबंध में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से एक प्रमाण पत्र।

(x) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अनुमोदन वापस ले लेगा यदि अनुमोदित इकाई:-

क. अपनी गतिविधियाँ बंद कर चुकी है; या

ख. उसकी गतिविधियाँ अप्रमाणिक पाई जाती हैं; या

ग. उसकी गतिविधियाँ अधिनियम या नियमों के सभी या किसी भी प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार नहीं की जा रही हैं; या

घ. उसकी गतिविधियाँ उन सभी या किसी भी शर्तों के अनुसार नहीं की जा रही हैं जिनके अधीन अधिसूचना जारी की जा रही है।